आदेश आदेशपत्रक

न्यायालय : अपर उपजिलाधिकारी,प्रथम
मण्डल :गोरखपुर,जनपद :देवरिया,तहसील :देवरिया
वाद संख्या :-08256/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201905200108256
दिनेशचन्द्र गीता महाविदालय बनाम सरकार
अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

-2-2-

भूमि के रकबा 1.0440 हे0, जिसमें महाविद्यालय का भवन खेल मैदान व बाउण्ड्रीवाल हुआ है। ऐसी स्थिति में तहसील की उक्त विवादित आख्या के आधार ग्राम-बरुआडीह, तप्पा कचुआर, परगना स0म0, तहसील व जिला-देवरिया में सि आराजी संख्या-132 रकबा 1.0440 हे0 भूमि को कृषिक प्रख्यापित किये जाने में व विधिक बाधा नहीं है।

अतः तहसील आख्या दिनांक 30.07.2019 जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.07.2019 को अग्रसारित किया गया है, के अनुरूप ग्राम-बरुआडीह, तप्पा-कचुआर परगना-स0म0, तहसील व जिला देवरिया की द्वारा खतौनी फसली वर्ष 1427 लगाया 1432 के आराजी संख्या-132 रकबा 1.0440 हे0, भूमि जो श्री दिनेशचन्द्र गीता महाविद्यालय बरुआडीह प्रबंधक दिनेशचन्द्र पुत्र सुदामा यादव का है, को कृषि, बागवानी पशुपालन (जिसमें कुक्कुट पालन व मत्स्य पालन भी शामिल है) से इतर व्यावसायिक महत्व की होने के आधार राजस्व संहिता की धारा 80(1) के अंतर्गत अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है। प्रस्तावित पाटेकाक कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की क्रिया में है तो व अंश इस आदेश से मुक्त होगा। प्रस्तावित पाटेकाक के विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा साथ ही अभिलेखों में अमलदामद हे आदेश की प्रति तहसीलदार देवरिया व उपनिबन्धक देवरिया को प्रेषित की जाय। बा आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

दिनांक:-

30.9.22

(मंजूर अमरदेव अंसारी)
अपर उपजिलाधिकारी (प्रथम) सदर
देवरिया।

सत्यमेव जयते

प्रेषक

पृष्ठ संख्या :